भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3223

उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

वाल्मीकि समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना

3223. श्रीमती डी. के. अरुणा:

डॉ. बायरेड्डी शबरी:

श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों से वाल्मीकि या बोया समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में सम्मिलित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिन्हें वर्तमान में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन में किसी देरी के कारण क्या हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और उनकी समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वाल्मीकि या बोया समुदाय के पास कोई जाति-आधारित पेशा नहीं है और उनके पास निरंतर आय का कोई स्रोत नहीं है और उन्हें कमजोर वर्गों में गिना जाता है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त समुदाय को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, विशेषकर श्रीकाकुलम जिले में पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या चेल्लप्पा समिति की सिफारिशों के आधार पर तेलंगाना विधान सभा ने समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है और प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) उक्त समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर अंतिम निर्णय के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग) और (छ): आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में वाल्मीकि/बोया को शामिल करने का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है और तेलंगाना की अनुसूचित जनजातियों की सूची में वाल्मीकि बोया को शामिल करने का प्रस्ताव तेलंगाना राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार ने दिनांक 15.6.1999 को (25.6.2002 एवं 14.9.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों को तय करने की प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है और विधान (कानून) में संशोधन किया जा सकता है जिनकी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सिफारिश की गयी हो और जिन्हें उचित ठहराया गया हो तथा इस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सहमति प्राप्त की गई हो। प्रस्तावों पर समस्त कार्रवाई इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है।
किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन के प्रस्तावों में प्रविधियों के अनुसार विशेष (निश्चित) प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के साथ एक नृवंशविज्ञान रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रस्तावों की जांच आरजीआई कार्यालय और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव आरजीआई द्वारा अनुशंसित नहीं है, तो राज्य सरकारों को आरजीआई द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सके। इसलिए ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।

(घ): वाल्मीकि बोया शिकार करने और चट्टानों की दरारों से मधु-छत्ते इकट्ठा करने में माहिर हैं। उनमें से अधिकांश अब कृषक हैं। उनकी निम्न सामाजिक स्थिति, गरीबी और शैक्षिक पिछड़ेपन के संबंध में समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता है।

(ङ): वाल्मीकि समुदाय को आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में प्रविष्टि सं 30 पर "बाल्मीकि (विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्र)" और कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति सूची में प्रविष्टि संख्या 38 पर "नायकडा, नायक (परिवार और तलवार सहित), चौलीवाला नायका, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाईक, नायक, बेडा, बेडर और बाल्मीकि को अजजा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(च): तेलंगाना राज्य विधानसभा ने वाल्मीकि बोया समुदाय को तेलंगाना की अजजा सूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। तेलंगाना सरकार ने अपने पत्र संख्या 3646/टीडब्ल्यू.एलटीआर/2018 टीडब्ल्यू (एलटीआर) विभाग, दिनांक 16.11.2021 के माध्यम से इस मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

*****